



नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग कार्यक्रम 2018-19

**Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V.Sc. & A.H.)/
Bachelor of Fishery Science (B.F.Sc.)**

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा प्री. वेटनरी एण्ड फिशरी टेस्ट 2018 (PV & FT-2018) द्वारा घोषित परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर, महु एवं रीवा में बी.व्ही.एससी एण्ड ए.एच. (5½ वर्षीय)/बी.एफ.एससी (4 वर्षीय) स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक समस्त उम्मीदवार अर्हताकारी परीक्षा में प्रावीण्य सूची के आधार पर तालिका क्र. 1 में दिये गये श्रेणीवार प्राप्त प्राप्तांक या उससे अधिक प्राप्त प्राप्तांक के समस्त अभ्यर्थी, एवं तालिका क्र. 2 में दर्शाये कार्यक्रमानुसार ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गांव से वेबसाइट www.ndvsu.org अथवा www.crisponlineservices.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं।

तालिका क्र. 1

क्र.	श्रेणी	पी.व्ही. एण्ड एफ .टी. 2018 में प्राप्त प्राप्तांक	
		B.V.Sc. & A.H.	B.F.Sc.
1	अनारक्षित श्रेणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/दिव्यांग/सैनिक अभ्यर्थी UR (FF/PH/ S)	33 या अधिक
2	आरक्षित श्रेणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/दिव्यांग/सैनिक अभ्यर्थी SC/ST/OBC (FF/PH/ S)	समस्त पात्र अभ्यर्थी
3	अनारक्षित श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी UR (F)	33 या अधिक	33 या अधिक
4	अनारक्षित श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी UR (X)	59 या अधिक	59 या अधिक
5	अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी OBC(F)	45 या अधिक	45 या अधिक
6	अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी OBC(X)	59 या अधिक	59 या अधिक
7	अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के कृषक अभ्यर्थी OBC (K)	59 या अधिक
8	अनु. जाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी SC (F)	40 या अधिक	40 या अधिक
9	अनु. जाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी SC (X)	40 या अधिक	40 या अधिक
10	अनु. जाति श्रेणी के कृषक अभ्यर्थी SC(K)	40 या अधिक
11	अनु. जनजाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी ST (F)	40 या अधिक	40 या अधिक
12	अनु. जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी ST (X)	40 या अधिक	40 या अधिक
13	अनु. जनजाति श्रेणी के कृषक अभ्यर्थी ST (K)	40 या अधिक

X = पुरुष/महिला, F = महिला, K= कृषक, FF = स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, S = सैनिक, PH = दिव्यांग

तालिका क्र. 2

काऊसलिंग के चरण	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता क्रम का चयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान कर लॉक करना	आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश	प्रवेश के पश्चात् अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना (केवल बी.व्ही. एस.सी एण्ड ए.एच पाठ्यक्रम हेतु)
प्रथम चरण	28/07/2018 से 06/08/2018 (रात 12 बजे तक)	08/08/2018	10/08/2018, 13/08/18 एवं 14/08/2018 (अवकाष दिवस छोडकर सुबह 11बजे से शाम 4 बजे तक)	10/08/2018 से 15/08/2018 (रात 12 बजे तक)
द्वितीय चरण (सीट रिक्त रहने पर)	16/08/2018 से 22/08/2018 (रात 12 बजे तक)	24/08/2018	27/08/2018 से 29/08/2018 (अवकाष दिवस छोडकर सुबह 11बजे से शाम 4 बजे तक)	27/08/2018 से 30/08/2018 (रात 12 बजे तक)
तृतीय चरण (सीट रिक्त रहने पर)	01/09/2018 से 07/09/2018 (रात 12 बजे तक)	11/09/2018	13/09/2018, 14/09/2018 एवं 17/09/2018 (अवकाष दिवस छोडकर सुबह 11बजे से शाम 4 बजे तक)	निरंक

- काऊसलिंग प्रक्रिया, उपलब्ध सीटें एवं शुल्क की विस्तृत जानकारी www.ndvsu.org तथा www.crisponlineservices.com पर उपलब्ध है जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद ही ऑनलाइन पंजीयन कराये।
- प्रवेश हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. 2018 (PV& FT-2018) में दिये गए प्रवेश नियमों का पालन किया जावेगा एवं दर्शाये गये प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य होगा। ।
- स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, सैनिक, दिव्यांग एवं कृषक (केवल बी.व्ही.एस.सी एण्ड ए.एच पाठ्यक्रम में) वर्गों के अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीयन करते समय अनिवार्य रूप से वर्ग चिन्हित करें।
- **B.V.Sc. & A.H** एवं **B.F.Sc.** में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी पंजीयन कराते समय दोनो पाठ्यक्रमों हेतु अलग अलग विकल्प चिन्हित करें।
- अभ्यर्थी द्वारा किसी भी चरण में एक बार पंजीयन करने के पश्चात् अगले चरण में पंजीयन की आवश्यकता नहीं है।
- किसी भी समय पर अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश लिया गया है तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जायेगा एवं विष्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- ऑनलाइन काऊसलिंग के द्वारा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश लेने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन केवल उसी चरण में एक बार भर सकता है। अगले चरण में अपग्रेडेशन के विकल्प की सुविधा नहीं दी जायेगी।

- प्रत्येक चरण के ऑनलाईन कांऊसलिंग में रिक्त सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों के अपग्रेडेशन उपरांत ही शेष रिक्त सीटों पर आंक्टन कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों से किया जावेगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी को महाविद्यालय में सीट आंक्टन उपरांत प्रवेश नहीं लिया तब वह अभ्यर्थी अगले चरण की कांऊसलिंग में भाग लेने का पात्र नहीं होगा।
- दस्तावेज सत्यापन के समय यदि अभ्यर्थी द्वारा वताई गई निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसका सीट आंक्टन निरस्त कर दिया जाऐगा एवं अगले चरण में वह अभ्यर्थी भाग नहीं ले पाऐगा।
- मूल दस्तावेजों (Original documents) का सत्यापन आंक्टित महाविद्यालय पर निर्धारित तिथियों में किया जावेगा –

बी.व्ही.एससी एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम हेतु

1. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर
सिविल लाईन्स, जबलपुर रेल्वे स्टेशन के पास, जबलपुर (म.प्र.) दूरभाष. 0761–2621330
2. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू
रसलपुरा महू – इन्दौर (म.प्र.) दूरभाष. 07324–276655
3. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा
कुठुलिया फार्म, रीवा (म.प्र.) दूरभाष. 07662–221686

बी.एफ.एससी स्नातक पाठ्यक्रम हेतु

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय,
संयुक्त पशुधन प्रक्षेत्र, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) दूरभाष. 0761–2680177

अधिष्ठाता संकाय /
अध्यक्ष काउंसलिंग कमेटी

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग प्रक्रिया 2018–19

Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V.Sc. & A.H.)/
Bachelor of Fishery Science (B.F.Sc.)

ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग हेतु प्रमुख स्टेप

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)
 2. महाविद्यालयों की प्राथमिकताक्रम का ऑनलाईन चयन एवं ऑनलाइन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान
(Online preferences/choice filling of colleges and payment of online application/portal fees)
 3. ऑनलाईन आबंटन (Online Allotment)
 4. आबंटित महाविद्यालय में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क का भुगतान
(Reporting for Admission in allotted college, Documents Verification and payment of admission fees)
 5. प्रवेश के पश्चात् अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना
(Online choice for upgradation after admission)
 6. अपग्रेडेशन के पश्चात् ऑबंटित महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज (यदि हुआ हो तो)
Reporting in the newly allotted college after upgradation,(if any)
- ✓ काउंसलिंग में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्तांको तथा काउंसलिंग कार्यक्रम के आधार पर सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के समस्त अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी स्टेप 1 से 6 तक का पालन करना होगा।

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये वेबसाइट पर ऑनलाईन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। **पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।** ऑनलाईन ऑफ कैंपस काउंसलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गांव से वेबसाइट www.ndvsu.org या www.crisponlineservices.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं।

- सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को आई.डी. एवं पासवर्ड SMS/email द्वारा प्राप्त होगा।
- अगली बार अभ्यर्थी अपने आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगईन कर सकते हैं।
- सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिये पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।

- अभ्यर्थी को यह सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है।
- पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा **Forget Password** पर क्लिक कर पासवर्ड **Reset** किया जा सकेगा।

2. महाविद्यालयों की प्राथमिकताक्रम का ऑनलाईन चयन एवं ऑनलाइन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान

(Online preferences/choice filling of colleges and payment of online application/portal fees)

सफलतापूर्वक लॉगईन पश्चात अभ्यर्थी अपनी वांछित जानकारी का उपयोग कर संस्थाओं का प्राथमिकताक्रम से चयन कर सकेंगे। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा –

अभ्यर्थी कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध महाविद्यालयों का प्राथमिकतानुसार ऑनलाइन चयन कर सकेंगे तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का भुगतान कर चॉइस लॉक कर सकेंगे।

अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं। शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा। अभ्यर्थियों को पोर्टल शुल्क **₹. 180/- (राशि ₹. एक सौ अस्सी मात्र) + GST** का ऑनलाइन भुगतान करना होगा जो कि वापसी योग्य नहीं (Non refundable) है। अपनी च्वाइस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाइस (Choice)का क्रम प्राथमिकताक्रम के अनुसार मुद्रित होगा। **अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें।**

- शुल्क भुगतान के लिये निम्नलिखित दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।
 - इन्टरनेट बैंकिंग (समस्त बैंक)
 - एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा)

ऑनलाईन शुल्क भुगतान के समय किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए विष्वविद्यालय जबाबदार नहीं होगा।

3. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)

पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2018 में प्राप्त प्राप्तांक, अभ्यर्थियों द्वारा भरा गया प्राथमिकताक्रम, पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2018 के प्रवेश नियमों, कॉमन मेरिट एवं निर्धारित समय सारणी के

अनुसार आबंटन किया जावेगा तथा आबंटित संस्था/प्राढ्यक्रम का उल्लेख आबंटन पत्र में होगा। जिसे वे अपने लॉगईन आईडी/पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे।

4. आबंटित महाविद्यालय में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क का भुगतान

(Reporting for Admission in allotted college, Documents Verification and payment of admission fees)

अभ्यर्थी स्वयं प्रवेश लेने हेतु आबंटित संस्था में आबंटन पत्र तथा अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक प्रवेश शुल्क के साथ अंतिम निर्धारित तिथि से पूर्व उपस्थित होंगे। निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का आबंटित संस्था में सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा—

- पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2018 की अंक सूची।
 - हाई स्कूल (10th), हायर सेकेण्डरी (12th Class) की मूल अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र।
 - चरित्र प्रमाण पत्र अन्तिम अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी।
 - स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
 - माइग्रेसन प्रमाण पत्र।
 - तत्काल की चार पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे।
 - सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
 - मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र।
 - कृषक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
 - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
 - दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
 - सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
 - यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो उसका शपथ पत्र।
 - पंजीयत चिकित्सक द्वारा रक्त समूह का विवरण व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
 - माता/पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक) (आरक्षित वर्ग के लिए)
 - ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट
 - आधार कार्ड
- समस्त मूल दस्तावेजों का दो छायाप्रति (फोटोकापी) लाना अनिवार्य होगा।

महाविद्यालयों का पता निम्नानुसार हैं

बी.व्ही.एससी एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम हेतु

पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर
सिविल लाईन्स, जबलपुर रेल्वे स्टेशन के पास, जबलपुर (म.प्र.) दूरभाष. 0761-2621330

पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महु
रसलपुरा महु – इन्दौर (म.प्र.) दूरभाष. 07324-276655

पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा
कुटुलिया फार्म, रीवा (म.प्र.) दूरभाष. 07662-221686

बी.एफ.एससी स्नातक पाठ्यक्रम हेतु

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय,

संयुक्त पशुधन प्रक्षेत्र, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) दूरभाष. 0761-2680177

आबंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् Eligible/Not Eligible की पावती जारी की जावेगी। चाहे गए दस्तावेज सही होने पर एवं Eligible की पावती प्राप्त होने पर ही आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

इसके पश्चात् आबंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि में प्रवेश शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। **कुल शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी आबंटित संस्था में प्रवेश के पात्र होंगे।** कुल शुल्क निर्धारित तिथि पर न जमा करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर उसकी सीट रिक्त मानी जायेगी एवं अगले प्रत्याषी को योग्यता सूची के आधार पर सीट आबंटित कर दी जावेगी।

शिक्षण शुल्क

बी.व्ही.एससी. एंड ए.एच पाठ्यक्रम

अनारक्षित वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश हेतु नीचे दर्शायी गयी निर्धारित **शुल्क रूपये 44438/-** प्रवेश के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पश्चात् नियमानुसार म.प्र शासन के द्वारा घोषित छात्रवृत्ति अभ्यर्थी के बैंक खाते में शासन द्वारा सीधे जमा कराई जावेगी)।

1. कुल शुल्क :-

स.क्र.	वर्ष	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	44438 / -
2	द्वितीय वर्ष	40310 / -
3	तृतीय वर्ष	40310 / -
4	चतुर्थ (1½ वर्षीय)	60460 / -
5	पंचम वर्ष	38910 / -

2. छात्रावास हेतु शुल्क

स.क्र.	वर्ष	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	6410 / -
2	द्वितीय वर्ष	3400 / -
3	तृतीय वर्ष	3400 / -
4	चतुर्थ (1½ वर्षीय)	5100 / -
5	पंचम वर्ष	3400 / -

(विद्युत शुल्क खपत अनुसार एवं भोजनालय की पुल्कों का भुगतान अतिरिक्त देय होगा)

बी.एफ.एससी. पाठ्यक्रम

अनारक्षित वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश हेतु नीचे दर्शायी गयी निर्धारित **शुल्क रूपये 39938 / -** प्रवेश के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पश्चात् नियमानुसार म.प्र शासन के द्वारा घोषित छात्रवृत्ति अभ्यर्थी के बैंक खाते में शासन द्वारा सीधे जमा कराई जावेगी) ।

1. कुल शुल्क :-

स. क्र.	वर्ष	प्रथम सेमेस्टर (रूपए में)	द्वितीय सेमेस्टर (रूपए में)	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	39938* / -	4510 / -	44448 / -
2	द्वितीय वर्ष	20310 / -	20010 / -	40320 / -
3	तृतीय वर्ष	20310 / -	20010 / -	40320 / -
4	चतुर्थ वर्ष	19610 / -	20010 / -	39620 / -

* शिक्षण शुल्क द्वितीय सेमेस्टर की भी समायोजित है।

2. छात्रावास हेतु शुल्क (उपलब्ध होने पर)

स.क्र.	वर्ष	प्रथम सेमेस्टर (रूपए में)	द्वितीय सेमेस्टर (रूपए में)	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	4710 /—	1710 /—	6420 /—
2	द्वितीय वर्ष	1700 /—	1700 /—	3400 /—
3	तृतीय वर्ष	1700 /—	1700 /—	3400 /—
4	चतुर्थ वर्ष	1700 /—	1700 /—	3400 /—

(विद्युत शुल्क खपत अनुसार अतिरिक्त देय होगा)

शुल्क वापसी— सत्र 2018-19 में बी.व्ही. एससी. एण्ड ए.एच./बी.एफ.एससी. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात् किसी कारणवश प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क वापस की शर्तें निम्नलिखित हैं:—

स.क्र.	शुल्क वापसी का प्रतिशत *	प्रवेश निरस्त करने हेतु महाविद्यालय में सूचना देने की समय सीमा
1	100 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना से 15 दिवस पूर्व
2	80 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 15 दिवस से अधिक नहीं
3	50 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 15 दिवस से अधिक परंतु 30 दिवस से कम
4	00 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 30 दिन से अधिक

* कॉषनमनी एवं सुरक्षा निधि छोड़कर
क्रमांक 01 हेतु प्रोसिस शुल्क 10 प्रतिशत देय होगा।

टीप—मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत पात्र छात्र/ छात्राओं को नियमानुसार शुल्क में छूट प्रदान की जावेगी।

5. प्रवेश के पश्चात् अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना

(Online choice for upgradation after admission)

ऑनलाईन कांऊसलिंग के द्वारा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश लेने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का विकल्प चाहे गये महाविद्यालय हेतु ऑनलाईन केवल उसी चरण में एक बार भर सकता है। अगले चरण में अपग्रेडेशन के विकल्प की सुविधा नहीं दी जाएगी। प्रत्येक चरण के ऑनलाईन कांऊसलिंग में रिक्त सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों के अपग्रेडेशन उपरांत ही शेष रिक्त सीटों पर आवंटन किया जावेगा। अपग्रेडेशन केवल अभ्यर्थी द्वारा इच्छित प्राथमिकताक्रम जो ऑनलाईन पंजीयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान करने के बाद लॉक हो गया है उसी प्राथमिकताक्रम के अनुसार किया जावेगा। रिक्त सीट उपलब्ध होने पर सीट का अपग्रेडेशन पी.

व्ही.एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2018 में प्राप्तांक, अभ्यर्थियों द्वारा भरा गया प्राथमिकताक्रम, पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2018 के प्रवेश नियमों के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार की जावेगी।

6. अपग्रेडेशन के पश्चात् आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज (यदि हुआ हो तो)

(Reporting in the newly allotted college after upgradation, if any)

यदि अपग्रेडेशन हुआ हो तो, अपग्रेडेशन के पश्चात् अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि में उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण

महाविद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर.)							अनु.जाति (एस.सी.)							अनु. जनजाति (एस.टी.)							अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)							महा योग
	X	F	K	F F	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	F F	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	
जबलपुर	21	10	0	1	1	1	34	5	3	1	0	1	1	11	8	4	1	0	0	0	13	6	2	0	1	0	0	9	67
रीवा	21	10	0	1	1	1	34	6	3	0	1	0	0	10	7	4	1	0	1	1	14	5	3	1	0	0	0	9	67
महू	21	10	0	1	0	1	33	6	4	1	0	0	0	11	8	4	0	1	0	0	13	5	3	0	0	1	1	10	67
योग	63	30	0	3	2	3	101	17	10	2	1	1	1	32	23	12	2	1	1	1	40	16	8	1	1	1	1	28	201

वर्ग: F = महिला, K= कृषक, FF= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, S=सैनिक, PH=द्विव्यांग, X= इन में से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग।

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के अन्तर्गत सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण

महाविद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर.)							अनुसूचित जाति (एस.सी.)							अनुसूचित जनजाति (एस.टी.)							अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)							महा योग
	X	F	K	FF	S	P H	योग	X	F	K	FF	S	P H	योग	X	F	K	FF	S	P H	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	
मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर	10	5	0	0	0	0	15	4	1	0	0	0	0	5	4	2	0	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	4	30

वर्ग: F = महिला, K= कृषक, FF= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, S=सैनिक, PH=द्विव्यांग, X= इन में से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग।

अधिष्ठाता संकाय
ना.दे.प.चि. वि.वि., जबलपुर